प्रेस नोट   दिनांक 21.11.2020
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

- **थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का इनामी शातिर बदमाश बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय कारतूस नाजायज बरामद।**

- **<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>**

1–गौरव यादव उर्फ टाईगर पुत्र कृष्णपाल उर्फ सुक्कड़ नि0 मौ0 अहिरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

- **<u>बरामदगी का विवरण–</u>**

1–एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

- **<u>अभियुक्त गौरव यादव का आपराधिक इतिहास–</u>**

1–मु0अ0सं0 226/20 धारा 392, 411 भादवि थाना कोतवाली बागपत।
2–मु0अ0सं0 250/20 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत।
3–मु0अ0सं0 251/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली बागपत।
4–मु0अ0सं0 601/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली बागपत।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>

आज दिनांक 21.11.2020 को समय करीब 10:00 बजे थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पिलाना भट्टे के पास दत्तनगर मार्ग पर पुलिस मुठभेड के दौरान एक वांछित अभियुक्त गौरव यादव उर्फ टाईगर उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र कृष्णपाल उर्फ सुक्कड़ निवासी मौहल्ला अहिरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत को मय एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा नाजायज के साथ गिरफ्तार किया है। मुठभेड के दौरान अभियुक्त के 02 साथी मौके से फरार फरार हो गये जिनकी तलाष की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गौरव उर्फ टाईगर उपरोक्त थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 601/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

- **थाना बड़ौत पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा मय कारतूस व एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद।**

- **<u>अभियुक्त का नाम व पता–</u>**

अमित पुत्र बलवान सिंह दहिया निवासी ग्राम रोहटा थाना सोनीपत सिटी जिला सोनीपत हरियाणा।

- **<u>बरामदगी का विवरण–</u>**

1–एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस।
2–एक सफेद बीएमडब्ल्यू कार यूपी–14बीक्यू–0002

- **<u>अभियुक्त अमित का अपराधिक इतिहास–</u>**

1–मु0अ0सं0 360/2020 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली हापुड नगर जनपद बागपत।

2–मु0अ0सं0 360/2020 धारा 279, 307 भादवि 7 क्रिमिनल ला एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

3–मु0अ0सं0 1007/20 धारा 307 आईपीसी (पुलिस मुठभेड) थाना बडौत जनपद बागपत।

4–मु0अ0सं0 1008/20 धारा 3/25/27 षस्त्र एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

- **<u>घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>**

आज दिनांक 20.11.2020 को समय करीब 17:30 बजे थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत सराय रोड मंदिर के पास दौराने चैकिंग थाना बडौत पुलिस व बदमाशों के मध्य मुठभेड़ हुई। बाद मुठभेड़ अभियुक्त अमित पुत्र बलवान सिंह दहिया निवासी ग्राम रोहटा थाना सोनीपत सिटी जिला सोनीपत हरियाणा को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस एवं एक सफेद बीएमडब्ल्यू कार यूपी–14बीक्यू–0002 के साथ गिरफ्तार गया है। अभियुक्त के 02 साथी पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18–11–2020 को गाजियाबाद में कविनगर थाना क्षेत्र में रोडरेज में दो–तीन जगह फायरिंग की घटना कारित की गई थी तथा जनपद गाजियाबाद पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करके फरार हो गए थे। गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथियों के साथ आज अपनी रिश्तेदारी ग्राम बिजवाडा बिनौली में शरण लेने के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडौत पर मु०अ०सं० 1007/20 धारा 307 आईपीसी (पुलिस मुठभेड) व मु०अ०सं० 1008/20 धारा 3/25/27 षस्त्र एक्ट पंजीकृत किया गया है।

- **तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना चांदीनगर–पुलिस द्वारा मु0अ0स0 161/2020 धारा 420,323,506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1–नरेष पुत्र धर्मवीर 2–योगेष पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना खेकडा–पुलिस द्वारा मु0अ0स0 451/2020 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त 1–आकाष पुत्र संजय निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।